

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

फा. क्र. 17(ई) 40-88-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त सम्पूर्ण नियमों में, शब्द “निम्नतर न्यायिक सेवा” जहां कहीं भी वे आए हैं, के स्थान पर शब्द “न्यायिक सेवा” स्थापित किए जाएं.

F. No. 17 (E) 40-88-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the State Public Service Commission and the High Court, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:—

#### AMENDMENT

Throughout the said rules, for the words “Lower Judicial Service” wherever they occur, the words “Judicial Service” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.